पत्र संख्या–1032/9–आ–4–2000–535एन/2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 21 मार्च, 2001

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हेतु अपात्र होने, भूमि नजूल भूमि न होने तथा निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की दशा में स्वमूल्यांकन की धनराशि में से प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में रू. 500/– कटौती किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनेक ऐसे व्यक्तियों द्वारा फ्रीहोल्ड कराये जाने हेतु स्वमूल्यांकन के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि जमा कर ओवदन किया गया है, जो कि फ्रीहोल्ड की पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं तथा कतिपय मामलों में नजूल भूमि न होने पर भी फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि फ्रीहोल्ड के कतिपय प्रकरण में आवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर फ्रीहोल्ड की देय धनराशि जमा नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि उक्त सभी प्रकार के मामलों में प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यवाही करनी पड़ती है अतः फ्रीहोल्ड हेतु आवेदक के अपात्र होने, भूमि नजूल न होने अथवा निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर आवेदन निरस्त किये जाने की स्थिति में धनराशि वापसी के चरण पर स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत आवेदन धनराशि से रू0 500/– (रू0 पांच सौ मात्र) प्रोसेसिंग जार्च के रूप में कटौती कर ली जाय।

अतः उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–1032 (1)/9–आ–4–2000–535एन/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव